न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रकरण सख्या : 23/2018

बउनवानः–

राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. चौथमल पुत्र ओकारलाल
2. प्रभूलाल पुत्र नैनगीलाल
3. गिर्राज पुत्र रामचन्द्र
4. राजेन्द्र पुत्र चिंरोजीलाल
5. गोकुल प्रसाद पुत्र रामपाल
6. जोधराज पुत्र सूरजमल
7. रामपाल पुत्र देवलाल

जातियान बैरवा निवासीगण सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

अंतर्गत सीआरपीसी धारा 145

वकील प्रार्थी : जर्ये थानाधिकारी सीसवाली तह0 मांगरोल

दायरा दिनांकः 08.09.2018 — निर्णय दिनांक : 27.02.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि इस्तगासा थानाधिकारी सीसवाली रिपोर्ट तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांगरोल के आधार पर प्रार्थना पत्र अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बारां दिनांक 27.08.2018 भी बाबा रामदेव जयंती अवसर पर बैरवा समाज सीसवाली को 10 व 11 सितम्बर 2018 दो दिवसीय धार्मिक कार्यकम उक्त विवादित स्थल आराजी खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 पर आयोजित करने की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र एतद् निरस्त किया गया एवं उक्त आइडेण्टीफाइड स्थान को (जो सीसवाली के कालूपुरा मोहल्ले में शमशान के पास मेंन रोड पर आयताकार पक्की बाउण्ड्री मय टीनशेड अम्बेंडकर प्रतिमा एवं चबूतरा सहित) में अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रमोद कुमार सिंधव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट

द्वारा इस [illegible] को एतद् द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा 145 के प्रावधानो के अनुसरण में आवागमन ([illegible]) में किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा धार्मिक महिमामंडन, को निषेध घोषित किया गया एवं अग्रिम आदेशो तक थानाधिकारी सीसवाली को रिसीवर नियुक्त किया था। थानाधिकारी सीसवाली को इस न्यायालय के अग्रिम आदेश तक उक्त विवादित स्थल की देखरेख एवं कस्टडी बनी रहेगी। अतः दिनांक 08.09.2018 को कस्बा सीसवाली में अन्ता रोड नदी के पास कालूपुरा मोहल्ला में शमसान के पास विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह भूमि में आयताकार पक्का चबुतरा सहित को सीआरपीसी की धारा 145 के तहत धार्मिक महिमामण्डन को निषेध घोषित किया गया था। थानाधिकारी सीसवाली को आगामी आदेशो तक रीसीवर घोषित किया गया।

उक्त प्रकरण की पत्रावली आज दिनांक 27.02.2019 को अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हुआ। राजस्थान सरकार जर्ये थानाधिकारी सीसवाली वादी की हैसियत से उपस्थित हुआ। पूर्व में श्रीमान जिला दण्डनायक महोदय बारां के निर्देशो की पालना में प्रकरण में गैर सायलान की ओर से बैरवा विकास समिति सीसवाली व नवयुवक मण्डल बैरवा समाज सीसवाली एवं सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष बमुकाम सीसवाली थाना केम्प कोर्ट में यह लिख कर दिया गया कि बैरवा समाज द्वारा भूमि आराजी खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम सीसवाली जिस पर हमने एक बाउण्ड्री वाल बनाकर एक चबूतरा रामदेवजी व टीनशेड व डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, जिस पर दो गुट समाज में होने से विवाद होने से सरकार द्वारा रिसीवर नियुक्त किया था एवं थानाधिकारी सीसवाली के पास बहैसियत रिसीवर सुपुर्दगी में आज तक है। **इसमें हम बिना सक्षम स्वीकृति लिए मूर्ति का अनावरण नही करेंगे और अब हमारे बीच कोई विवाद नही है। अतः यह खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि वापस पूर्ववत हमें सामाजिक कार्यो हेतु संभलावे ताकि हम इसे राज्य सरकार से वापस नियमन आदि कराकर सामूदायिक भवन आदि समाज कल्याण हेतु काम में ले सकें।** इस पर ग्राम पंचायत सीसवाली ने

इन सब प्रार्थना पत्रो को वास्ते जांच जर्ये थानाधिकारी सीसवाली को भिजाया था। जिनकी गहनता से जांच की। तदनुसार आज रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है। जो शामिल फाईल की गई। थानाधिकारी सीसवाली की जांच का सारांश उक्त रिसीवरी भूमि खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम सीसवाली है को सम्भलाने में वर्तमान में कानून व्यवस्था की दृष्टि से कोई विवाद नही है।

अतः उक्त रिसीवरी भूमि को प्रतिपक्षी बैरवा समाज के दोनो गुटो के प्रार्थना पत्र एवं लिखित व मौखिक वचन बद्धता एवं सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली की अनुशंषा और थानाधिकारी सीसवाली की अनुशंषा के मध्यनजर अब कोई कानून व्यवस्था, शांति भंग का अंदेशा, कस्बे में वैमनस्यता आदि का कोई आसन्न खतरा नही होने से पूर्व पारित रिसीवरी आदेश दिनांक 08.09.2018 को प्रत्याहरण करते हुए ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह में स्थित चारदीवारी युक्त बाउण्ड्री को रिसीवरी से मुक्त घोषित किया जाता है। एवं आदेश है कि रिसीवर थानाधिकारी सीसवाली पूर्व की स्थिति में उक्त भूमि खसरा नं0 2304 रकबा 0.40 है0 किस्म चारागाह स्थिति भूमि ग्राम सीसवाली के बैरवा समाज के दोनो ग्रुपो एवं सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली के हस्ताक्षर लेकर सार्वजनिक किया–कलापो हेतु संभलावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन

कमांक/रीडर/2019/ 77-84

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्य
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां सूचनार्थ एवं अग्रिम क
3. तहसीलदार मांगरोल को पालनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू
4. थानाधिकारी सीसवाली को पालनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू
5. अध्यक्ष बैरवा विकास समिती सीसवाली श्री मुकेश कुमार बैरवा एवं
6. अध्यक्ष बैरवा समाज नवयुवक मण्डल श्री चौथमल बैरवा एवं अन्य
7. सरपंच ग्राम पंचायत सीसवाली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
8. कार्यालय प्रति